केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60045 दिनांक: 26.03.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50008

अपीलकर्ता : श्री नवीन,
न्याय मंच (एन.जी.ओ.),
352ई/11ए, मुनिरका, जे.एन.यू. के सामने,
नई दिल्ली - 110067.

निर्णय की तारीख: 26.03.2019

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.02.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री एस. के. रब्बानी
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.03.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. के. रब्बानी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 3 एवं 5 से संबंधित प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें बिंदु सं. 3 एवं 5 के तहत गलत सूचना प्रदान की गई है ।

2. संबंधित संचिका आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना तथा प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3 के तहत - CIC के नए भवन की मरम्मत एवं साज-सज्जा (furnishing) हेतु व्यय की गई धन राशि एवं 5 के तहत - CIC में स्टेशनरी, फर्नीचर और अन्य उपकरणों की खरीद हेतु व्यय की गई धन राशि से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. के. रब्बानी द्वारा सूचना प्रदान की गई कि - "ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता" । श्री एस. के. रब्बानी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई उक्त सूचना से अधोहस्ताक्षरी सहमत नहीं हैं । **तद्नुसार श्री एस. के. रब्बानी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3 एवं 5 का पुन: अवलोकन कर यथा-उपलब्ध सूचना अपीलकर्ता को प्रदान की जाए ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. के. रब्बानी, उप- सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

OL handed over by Sh. Rabbani sir. on 26/03/19